

# FROM NO. III

## फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

.....बनाम .....  
 काशुलाल .....पुत्रीराज  
 किस्म मुकदमा - पत्थरगढ़ी नं. 5/2021 सन् 2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिथिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख की तामील में जारी हुए
5/2/2021	<p>प्रार्थी की ओर से वकील श्री <u>गणेश सिंह चूण्डवत एडवोकेट</u>                      ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के                      तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा <u>पीराना</u>                      पटवार मण्डल <u>पीराना</u> तहसील डूंगला की                      आराजी नम्बर <u>814 रकबा 1.67.00 हे. 1.917/96</u>  <u>0.3160 हे. 0.9860</u> हैक्टर/बीघा भूमि                      स्वयं की खातेदारी/संयुक्त खातेदारी होकर राजस्व                      रेकार्ड में दर्ज है, जिसका कोई स्थायी सीमा चिन्ह नहीं                      है। तथा विपक्षीगण आराजी के पड़ोसी है प्रार्थी और                      विपक्षी के मध्य आराजी सीमा को लेकर आये दिन                      विवाद होता है इसलिए उपरोक्त आराजीयात की                      पत्थरगढ़ी कराई जावे।                      पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन                      किया गया, बहस सुनी गई। प्राथी जैर बहस आराजी                      का खातेदार होकर उन्हें नपती कराने का अधिकार                      निहित है। अतः तहसीलदार डूंगला को रु. 1000/-                      अक्षरे <u>एड. ए. ए. ए.</u> रुपये फीस पर कमीशनर नियुक्त                      किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मुकदमा                      पक्षकारान की उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे के अनुसार                      बिना किसी के कब्जे काश्त में देखल दिये मौजा <u>पीराना</u>                      पटवार मण्डल <u>पीराना</u> तहसील                      डूंगला की आराजी नम्बर <u>814 रकबा 1.67.00 हे. 1.917/96</u>  <u>0.3160 हे. 0.9860</u>                      रकबा/बीघा भूमि की पत्थरगढ़ी मुकममल तौर पर की                      जावें। उक्त आशय का हुकमनामा तहसीलदार डूंगला को                      जारी हो। पत्थरगढ़ी पालना प्रतिवेदन दिनांक <u>15/1/2021</u>                      तक न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त                      होने पर संलग्न पत्रावली हो। पत्रावली फैसल सुमार                      होकर नम्बर से कम हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी  
डूंगला

